अध्याय-IV

लाभार्थियों का सर्वेक्षण

अध्याय-IV

लाभार्थियों का सर्वेक्षण

यह अध्याय उत्तर प्रदेश में सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन और प्रभाव का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थियों के सर्वेक्षण के परिणाम प्रस्तुत करता है। सर्वेक्षण में 16 जनपदों के 2,208 लाभार्थियों और 224 गाँवों को आच्छादित किया गया है।

अधिकांश उत्तरदाताओं ने ऊर्जा मीटर (94.66 प्रतिशत), स्थिर विद्युत आपूर्ति (55.84 प्रतिशत), उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुँच में सुधार (81.79 प्रतिशत), बच्चों के लिए अध्ययन के घंटों में वृद्धि (71.11 प्रतिशत) और रात्रि में बढ़ी हुई गतिशीलता और सुरक्षा (98.91 प्रतिशत) प्राप्त करने की पुष्टि की। इसी तरह, अधिकांश ग्राम प्रधानों ने अपने गाँवों में पर्याप्त संख्या में वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता (80.80 प्रतिशत) की पुष्टि की और वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इनवर्टर्स (85.71 प्रतिशत) का कोई उपयोग नहीं होने की सूचना दी। दूसरी ओर, 41.89 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने वोल्टेज में उतार-चढ़ाव की सूचना दी और 44.75 प्रतिशत को एलईडी लैंप नहीं मिले। इसके अतिरिक्त, 16.07 प्रतिशत ग्राम प्रधानों ने वितरण ट्रांसफार्मरों की अपर्याप्तता पर प्रकाश डाला।

प्रस्तावना

4.1 सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन और लक्षित आबादी तक परिकल्पित लाभ किस सीमा तक प्राप्त हुए, के सम्बन्ध में लाभार्थियों और ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों के विचार जानने के लिए, लेखापरीक्षा ने अगस्त-अक्टूबर 2021 और जनवरी-फरवरी 2023 के दौरान एक सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण में सभी 16 नमूना जिलों के 47 चयनित ब्लॉकों में से प्रत्येक से दो से पाँच गाँवों को आच्छादित किया गया।

सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावलियों के दो स्वतंत्र सेट तैयार किए गए। एक लाभार्थियों के सर्वेक्षण के लिए और दूसरा गाँव के सर्वेक्षण के लिए। इन प्रश्नावलियों में, योजना के अन्तर्गत परिकल्पित लाभों के विभिन्न तत्व सम्मिलित थे। सर्वेक्षण करने के लिए लेखापरीक्षा कार्मिकों ने चयनित गाँवों में

लाभार्थियों और ग्राम प्रधानों के घरों का दौरा किया। सहमति प्राप्त करने के बाद, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दर्ज किए गए तथा पूर्ण प्रश्नावली पर लाभार्थियों और लेखापरीक्षा कार्मिकों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, जियो टैगिंग के साथ सर्वेक्षण किये गये लाभार्थियों की छायाचित्र ली गयीं।

सर्वेक्षण में 16 नमूना जिलों के 232 चयनित गाँवों[1] में से 224 गाँवों के 2,208 लाभार्थी आच्छादित थे।

लाभार्थियों के सर्वेक्षण का परिणाम

4.2 सर्वेक्षण का लक्ष्य योजना की प्रभावशीलता और उनके जीवन पर इसके प्रभाव के सम्बन्ध में लाभार्थियों के अनुभवों को अभिलिखित करना था। लाभार्थियों के सर्वेक्षण के परिणामों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

लाभार्थियों को एलईडी लैंपों और ऊर्जा मीटरों का प्रावधान

4.2.1 सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों के प्रस्तर 2.4 के अनुसार, योजना के अन्तर्गत गैर-विद्युतीकृत परिवारों को विद्युत संयोजन में अन्य बातों के साथ-साथ लाभार्थियों को ऊर्जा मीटर और एलईडी लैंप का प्रावधान सम्मिलित था।

सर्वेक्षण किए गए कुल 2,208 लाभार्थियों में से, 1,216 (55.07 प्रतिशत) ने एलईडी लैंप और 2,090 (94.66 प्रतिशत) ने ऊर्जा मीटर मिलने की सूचना दी। जबकि चार और सात लाभार्थियों ने क्रमशः एलईडी लैंप और ऊर्जा मीटर के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया, शेष 988 (44.75 प्रतिशत) और 111 (5.03 प्रतिशत) लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें क्रमशः एलईडी लैंप और उर्जा मीटर वितरण कम्पनियों द्वारा उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

[1] आठ गाँवों में लाभार्थियों का सर्वेक्षण नहीं किया जा सका क्योंकि चार गाँवों का पता नहीं चल सका और अन्य चार गाँव या तो ऊर्जीकृत नहीं थे, या गाँव में कोई आबादी नहीं थी, या गाँव का नगर पालिका क्षेत्र में विलय कर दिया गया था, या विद्युतीकृत लाभार्थी नहीं मिले।

विद्युत आपूर्ति में वोल्टेज उतार-चढ़ाव

4.2.2 विद्युत आपूर्ति में वोल्टेज के उतार-चढ़ाव पर सर्वेक्षण प्रश्न के उत्तर में, 1,233 लाभार्थियों (55.84 प्रतिशत) ने स्थिर विद्युत आपूर्ति की सूचना दी। जबकि 50 लाभार्थियों ने कोई टिप्पणी नहीं दी, शेष 925 लाभार्थियों (41.89 प्रतिशत) ने उतार-चढ़ाव का अनुभव करने की पुष्टि की।

वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता

4.2.3 वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता पर सर्वेक्षण प्रश्न के उत्तर में, 181 ग्राम प्रधानों (80.80 प्रतिशत) ने अपने गाँवों में पर्याप्त संख्या में वितरण ट्रांसफार्मरों की उपलब्धता की पुष्टि की। अग्रेतर, सात ग्राम प्रधानों ने अपनी टिप्पणी नहीं दी, जबकि शेष 36 ग्राम प्रधानों (16.07 प्रतिशत) ने अपने गाँवों में वितरण ट्रांसफार्मरों की अपर्याप्त उपलब्धता की सूचना दी।

गाँवों में वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इन्वर्टर्स का उपयोग

4.2.4 वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इन्वर्टर्स के उपयोग पर सर्वेक्षण प्रश्न के उत्तर में, 192 ग्राम प्रधानों (85.71 प्रतिशत) ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इन्वर्टर्स का उपयोग नहीं किया जाता है। दो ग्राम प्रधानों ने अपनी टिप्पणी नहीं दी, जबकि शेष 30 ग्राम प्रधानों (13.39 प्रतिशत) ने ग्रामीणों द्वारा वोल्टेज स्टेबलाइजर्स/इन्वर्टर्स के उपयोग की सूचना दी।

उपभोक्ता वस्तुओं के उपयोग पर प्रभाव

4.2.5 सर्वेक्षण किए गए कुल 2,208 लाभार्थियों में से, 1,806 लाभार्थीयों (81.79 प्रतिशत) ने विद्युत संयोजन प्राप्त करने के बाद उपभोक्ता वस्तुओं जैसे पंखे, इस्त्री, टेलीविजन, फ्रिज, इत्यादि का उपयोग करने की सूचना दी। अग्रेतर, पाँच लाभार्थियों ने टिप्पणी नहीं दी, जबकि शेष 397 लाभार्थियों (17.98 प्रतिशत) ने कहा कि वे इन वस्तुओं का उपयोग नहीं कर रहे थे।

बच्चों के अध्ययन के घंटों पर प्रभाव

4.2.6 सर्वेक्षण किए गए कुल 2,208 लाभार्थियों में से 1,570 लाभार्थियों (71.11 प्रतिशत) ने संयोजन प्राप्त करने के बाद अपने बच्चों के अध्ययन के घंटों में वृद्धि की सूचना दी। अग्रेतर, 592 लाभार्थियों ने टिप्पणी नहीं दी। शेष 46 लाभार्थियों में से सात के कोई बच्चे नहीं थे तथा 39 ने संयोजन के बाद अपने बच्चों के अध्ययन के घंटों में कोई बदलाव या कमी नहीं होने की सूचना दी।

रात्रि में गतिशीलता/सुरक्षा पर प्रभाव

4.2.7 सर्वेक्षण किए गए कुल 2,208 लाभार्थियों में से, 2,184 लाभार्थियों (98.91 प्रतिशत) ने गाँवों के विद्युतीकरण के कारण रात्रि में गतिशीलता/ सुरक्षा में वृद्धि की सूचना दी। अग्रेतर, सात लाभार्थियों ने अपनी टिप्पणी नहीं दी, जबकि शेष 17 लाभार्थियों ने गाँवों के विद्युतीकरण के कारण रात्रि में गतिशीलता/सुरक्षा में किसी भी वृद्धि से मना किया।

विद्युत आपूर्ति पर प्रभाव

4.2.8 सर्वेक्षण किए गए कुल 2,208 लाभार्थियों में से, 1,919 लाभार्थियों (86.91 प्रतिशत) ने विद्युत आपूर्ति में सुधार की सूचना दी। अग्रेतर, जबकि 134 लाभार्थियों ने अपनी टिप्पणी नहीं दी, शेष 155 लाभार्थियों (7.02 प्रतिशत) ने विद्युत की आपूर्ति में किसी भी सुधार से मना किया।

एग्ज़िट कॉन्फ्रेंस (जनवरी 2024) के दौरान, प्रबंधन ने बताया कि लाभार्थी तकनीकी विषयों के विशेषज्ञ नहीं हैं और सर्वेक्षण के प्रश्नों पर उनकी प्रतिक्रियाएँ मानव व्यवहार सम्बन्धी तथ्यों पर निर्भर करती हैं। सरकार ने भी प्रबंधन के उत्तर को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा का विचार है कि सर्वेक्षण निष्पक्ष था, जैसा कि परिणामो में परिलक्षित होता है, जिसमें योजना के लाभों और उनके जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में लाभार्थियों के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों विचार सम्मिलित थे।

निष्कर्ष

लेखापरीक्षा द्वारा किए गए सर्वेक्षण ने सौभाग्य योजना के कार्यान्वयन तथा लाभार्थियों और गाँवों के जीवन पर इसके प्रभाव के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। प्रतिक्रियाएँ, योजना के क्रियान्वयन में उपलब्धियों और कमियों, दोनों को उजागर करती हैं। यद्यपि, बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने विद्युतीकरण के कारण बच्चों के लिए अध्ययन के घंटों, गतिशीलता, सुरक्षा और उपभोक्ता वस्तुओं तक पहुँच में सुधार को स्वीकार किया, तथापि एलईडी लैंपों के अपर्याप्त प्रावधान और वोल्टेज में उतार-चढ़ाव जैसे प्रकरण भी देखे गए।

लखनऊ
दिनांक 22 सितम्बर 2025

(राजीव कुमार पाण्डेय)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 23 SEP 2025

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक